



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2014/भाद्र 10, 1936

No. 459]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2014/BHADRA 10, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 630(अ) — केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की “द्वितीय अनुसूची” के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात्:-

“द्वितीय अनुसूची
(धारा 9 देखिए)

मद संख्या 1 से 9, 11 से 40, और 42 से 55 में के खनिजों के संबंध में स्वामिस्व की दरें

1. एपेटाइट तथा शैल फास्फेट:

- i) एपेटाइट
- ii) शैल फास्फेट
- क) 25 प्रतिशत से पी 2 ओ 5 से ऊपर
- ख) 25 प्रतिशत पी 2 ओ 5 तक

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पांच प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का साढ़े बारह प्रतिशत
यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का छह प्रतिशत

2. एस्वेस्टॉस

- i) क्रिसोटाइल
- ii) एम्फिबोल

आठ सौ अस्सी रूपये प्रति टन

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत

3. वैराइट्स

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का साढ़े छह प्रतिशत

4. वॉक्साइट और लेटेराइट

(क) धातुकर्मीय ग्रेडः

एल्युमीना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण में प्रयोग के लिए भेजे गए उत्पादित अयस्क में निहित एल्युमीनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय एल्युमीनियम धातु कीमत का 0.60 प्रतिशत

(ख) गैर धातुकर्मी ग्रेडः

एल्युमीना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण के अलावा प्रयोग हेतु प्रेषित के लिए यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत
यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत

5. ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकायसीन), इल्मेनाइट, रुटाइल और जिरकॉन :

6. कैडमियम :

7. कैल्साइट :

8. चिनी मिट्टी/ कयोलिन:

(जिसके अंतर्गत बॉल क्ले तथा श्वेत शैल, श्वेतक्ले भी है)

क) कच्चा

ख) प्रसंस्कृत (जिसके अंतर्गत धुली हुई भी है)

9. अन्य क्ले:

10. कोयला (लिग्नाइट सहित)

11. क्रोमाइट :

12. कोलमबाइट-टेंटालाइट :

13. ताम्रः

14. हीरा :

15. डोलोमाइट :

16. इूनाइट :

17. फेल्सपार :

18. अग्निसह मृत्तिका:

(जिसमें प्लास्टिक, पाइप, अश्वमुद्रणीय और प्राकृतिक पोजोलैनिक मृत्तिका भी है)

19. फ्लूऑरस्पारः

(जिसे फ्लुराईट भी कहा जाता है)

20. गारनेटः

क) अपघषक

ख) मणि

21. स्वर्णः

क) प्राथमिक

ख) स्वर्ण - उपोत्पाद

22. ग्रेफाइटः

i) 80 प्रतिशत या उससे अधिक नियत दो सौ पच्चीस रूपये प्रति टन कार्बन सहित

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का आठ प्रतिशत
यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत बीस रूपये प्रति टन

*

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत

उत्पादित अयस्क में निहित तांबा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय ताम्र धातु कीमत का चार दशमलव छह दो प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का ग्यारह दशमलव पाँच प्रतिशत

पचहतर रूपये प्रति टन

तीस रूपये प्रति टन

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का चार प्रतिशत
यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत

उत्पादित अयस्क में स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्किट एसोसिएशन कीमत (सामान्यतया लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट) कीमत का चार प्रतिशत

वास्तव में उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्किट एसोसिएशन कीमत (सामान्यतया लंदन कीमत के रूप में निर्दिष्ट) कीमत का तीन दशमलव तीन प्रतिशत

ii) 40 प्रतिशत से अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 80 प्रतिशत नियत कार्बन से कम

पैंसठ रूपये प्रति टन

iii) 20 प्रतिशत से अधिक नियतकार्बन सहित किन्तु 40 प्रतिशत नियत कार्बन से कम

पच्चीस रूपये प्रति टन

iv) 20प्रतिशत सेकम नियत कार्बन सहित

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत

23. जिप्समः

24. लौह अयस्क : (सीएलओ, लंप्स, फाइंस और सभी श्रेणी के सांद्र)

25. सीसा :

(क) उत्पादित अयस्क में निहित सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का आठ दशमलव पांच प्रतिशत

(ख) उत्पादित सांद्रण में निहित सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का चौदह दशमलव पांच प्रतिशत

26. चूना पत्थर :

i) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम है)

ii) अन्य

अस्सी रूपये प्रति टन

अस्सी रूपये प्रति टन

अस्सी रूपये प्रति टन

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का तीन प्रतिशत

27. चूना कंकड़ :

28. चूना खोल :

29. मैग्नेजाइट :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पांच प्रतिशत
यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का एक दशमलव सात प्रतिशत

30. मैग्नीज अयस्क :

i) सभी ग्रेड के अयस्क

ii) सांद्र

साठ रूपये प्रति टन

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का चार प्रतिशत

32. अपरिष्कृत अभ्रक, अपशिष्ट और कतरनः

33. मोनोजाइट :

एक सौ पच्चीस रूपये प्रति टन

34. निकिल :

उत्पादित अयस्क में निहित निकिल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम निकिल धातु मूल्य का शून्य दशमलव एक दो प्रतिशत

चौबीस रूपये प्रति टन

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत

35. ऑकर :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो प्रतिशत

36. पायराइट्स :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत

37. पाइरोफाइलाइट :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पन्द्रह प्रतिशत

38. क्वार्टज़ :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत

39. माणिकः

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो दशमलव

40. बालू (अन्य)

बीस रूपये प्रति टन

41. भराई के लिए बालूः

**

42. शेलः

साठ रूपये प्रति टन

43.सिलिका बालू, संचन बालू और क्वार्टजाइटः

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत

44. सिलिमेनाइटः

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दो दशमलव पांच प्रतिशत

45. चांदी :

(i) उपोत्पाद

वास्तव में उत्पादित उपोत्पाद चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय मूल्य का सात प्रतिशत

(ii) प्राथमिक चांदी

उत्पादित अयस्क में निहित चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय चांदी धातु मूल्य का पांच प्रतिशत

46. स्लेट :

पैतालिस रूपये प्रति टन

47. टैल्क, स्टोटाइट और सोपस्टोन :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का अठारह प्रतिशत

48. टिन :

उत्पादित अयस्क में निहित टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय

49. टंगस्टन :

टिन धातु मूल्य का सात दशमलव पांच प्रतिशत

50. यूरेनियम :

यथानुपात आधार पर अयस्क में निहित डब्ल्यू ओप्रति टन का बीस रूपये प्रति यूनिट प्रतिशत

मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्राप्त वार्षिक केपेन्सेसन राशि का दो प्रतिशत जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिए गए द्वारा के अनुसार राज्यों में बाँटा जाएगा।

51. वेनेडियम :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत

52. वर्मिकुलाइट :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पांच प्रतिशत

53. वोलास्टोनाइट :

यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पांच प्रतिशत

54. जस्ता :

(क) उत्पादित अयस्क में निहित जस्ता धातु पर प्रभार्य यथामूल्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का नौ दशमलव पांच प्रतिशत

(ख) उत्पादित संद्रण में निहित जस्ता धातु पर प्रभार्य यथामूल्य आधार पर लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का दस प्रतिशत

55. ऐसे सभी खनिज जो यहाँ ऊपर वित्तिरिट्ट यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत नहीं हैं (अगेट, कोरण्डम, डायस्पोर,

फेलसाइट, फुस्काइट-क्वार्टजाइट, जस्पर, केनाइट,

पेरेलाइट, पायरोसेनाइट, रॉकसाल्ट,

सिलेनाइट, आदि)

टिप्पणि:-

1. * भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की तारीख 14 जून, 2012 के शुद्धि पत्र सं. सा. का. नि. 525 (अ), के साथ पठित तारीख 10 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 349 (अ) द्वारा पुनरीक्षित कोयला (लिङ्गाइट सहित) से संबंधित मद सं. 10 के संबंध में स्वमिस्व दरें वही प्रवृत्त रहेंगी जो कोयला मंत्रालय की पृथक अधिसूचना के मार्फत पुनरीक्षित किए जाने होने तक प्रवृत्त थी।
2. ** तारीख 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 214(अ) द्वारा पुनरीक्षित भराई के लिए बालू संबंधी मद सं. 41 के संबंध में स्वमिस्व दरें वही प्रवृत्त रहेंगी जो कोयला मंत्रालय की पृथक अधिसूचना के मार्फत पुनरीक्षित होने तक प्रवृत्त थी।

[फा. सं. 3/3/2011-एम. VI (भाग-IV)]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

टिप्पणि:- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पहले संशोधन किया गया था :

1. सा. का. नि. 175(अ) तारीख 31 मार्च, 1975
2. सा. का. नि. 407(अ) तारीख 14 जुलाई, 1975

3. सा.का.नि. 584(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 321(अ) तारीख 12 जून, 1978
5. सा.का.नि. 2(अ) तारीख 01 जनवरी, 1979
6. सा.का.नि. 67(अ) तारीख 13 फरवरी, 1979
7. सा.का.नि. 63(अ) तारीख 12 फरवरी, 1981
8. सा.का.नि. 449(अ) तारीख 23 जुलाई, 1981
9. सा.का.नि. 458(अ) तारीख 05 मई, 1987
10. सा.का.नि. 856(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 1987
11. सा.का.नि. 516(अ) तारीख 01 अगस्त, 1991
12. सा.का.नि. 100(अ) तारीख 17 फरवरी, 1992
13. सा.का.नि. 748(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 1994
14. सा.का.नि. 27(अ) तारीख 13 जनवरी, 1995
15. सा.का.नि. 214(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997
16. सा.का.नि. 713(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2000
17. सा.का.नि. 187(अ) तारीख 15 मार्च, 2001
18. सा.का.नि. 572(अ) तारीख 16 अगस्त, 2002
19. सा.का.नि. 677(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2004
20. सा.का.नि. 522(अ) तारीख 01 अगस्त, 2007
21. सा.का.नि. 96(अ) तारीख 13 फरवरी, 2009
22. सा.का.नि. 574(अ) तारीख 13 अगस्त, 2009
23. सा.का.नि. 349(अ) तारीख 10 मई, 2012

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2014

G.S.R.630(E).- In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Second Schedule of the said Act, namely:-

2. In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the "Second Schedule", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SECOND SCHEDULE

(See Section 9)

RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS AT ITEMS 1 TO 9, 11 TO 40 AND 42 TO 55

3454 GI/1u-2

1.	Apatite and Rock Phosphate:	
	(i) Apatite	Five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(ii) Rock Phosphate	Twelve and half per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(a) Above 25% P ₂ O ₅	Six per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(b) Upto 25% P ₂ O ₅	
2.	Asbestos:	Eight Hundred and Eighty rupees per tonne.
	(i) Chrysotile	
	(ii) Amphibole	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
3.	Barytes:	Six and half per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
4.	Bauxite and Laterite:	<p style="margin-left: 2em;"><i>(a) Metallurgical Grade:</i></p> <p>Zero point six zero per cent. of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore produced for those dispatched for use in alumina and aluminium metal extraction.</p> <p style="margin-left: 2em;"><i>(b) Non Metallurgical Grade:</i></p> <p>Twenty five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis for those dispatched for use other than alumina & aluminium metal extraction.</p>
5.	Brown Ilmenite (Leucoxene), Ilmenite, Rutile and Zircon:	Two per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
6.	Cadmium:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
7.	Calcite:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
8.	China clay or Kaolin: (including ball clay and white shale, white clay)	Eight per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(i) Crude	
	(ii) Processed (including washed)	Twelve per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
9.	Clay others:	Twenty rupees per tonne.
10.	Coal (including Lignite):	*
11.	Chromite:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
12.	Columbite-tantalite:	Ten per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
13.	Copper:	Four point six two per cent. of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced.
14.	Diamond:	Eleven point five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
15.	Dolomite:	Seventy-five rupees per tonne.

16.	Dunite:	Thirty rupees per tonne.
17.	Felspar:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
18.	Fire Clay: (including plastic, pipe, lithomargic and natural pozzolanic clay)	Twelve per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
19.	Fluorspar: (also called fluorite)	Eight per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
20.	Garnet: (i) Abrasive	Four per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(ii) Gem	Ten per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
21.	Gold: (i) Primary	Four per cent. of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the gold metal in ore produced.
	(ii) By-product gold	Three point three per cent. of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as London Price) chargeable on the by-product gold metal actually produced.
22.	Graphite: (i) With 80 per cent. or more fixed carbon	Two hundred and twenty-five rupees per tonne.
	(ii) With 40 per cent. or more fixed carbon but less than 80 per cent. fixed carbon	One hundred and fifty rupees per tonne.
	(iii) With 20 per cent. or more fixed carbon but less than 40 per cent. fixed carbon	Sixty-five rupees per tonne.
	(iv) With less than 20 per cent. fixed carbon	Twenty-five rupees per tonne.
23.	Gypsum:	Twenty per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
24.	Iron Ore: (CLO, Lumps, fines and concentrates all grades)	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
25.	Lead:	(a) Eight point five per cent. of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced. (b) Fourteen point five per cent. of London Metal Exchange Lead metal price chargeable on the contained lead metal in the concentrate produced.
26.	Limestone: (i) L. D. Grade (less than 1.5 per cent. silica content)	Ninety rupees per tonne.

	(ii) Others	Eighty rupees per tonne.
27.	Lime kankar:	Eighty rupees per tonne.
28.	Limeshell:	Eighty rupees per tonne.
29.	Magnesite:	Three per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
30.	Manganese Ore: (i) Ore of all grade	Five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
	(ii) Concentrates	One point seven per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
31.	Marl:	Sixty rupees per tonne.
32.	Crude Mica, waste mica and scrap mica:	Four per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
33.	Monazite:	One hundred and twenty-five rupees per tonne.
34.	Nickel:	Zero point one two per cent. of London Metal Exchange Nickel metal price chargeable on the contained nickel metal in ore produced.
35.	Ochre:	Twenty-four rupees per tonne.
36.	Pyrites:	Two per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
37.	Pyrophyllite:	Twenty per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
38.	Quartz:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
39.	Ruby:	Ten per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
40.	Sand (others):	Twenty rupees per tonne.
41.	Sand for stowing:	**
42.	Shale:	Sixty rupees per tonne.
43.	Silica sand and moulding sand and Quartzite:	Ten per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
44.	Sillimanite:	Two point five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
45.	Silver: (i) By-product	Seven per cent. of London Metal Exchange Price chargeable on by-product silver metal actually produced.
	(ii) Primary Silver	Five per cent. of London Metal Exchange Silver Metal Price chargeable on the contained silver metal in ore produced.
46.	Slate:	Forty-five rupees per tonne.
47.	Talc, Steatite and Soapstone:	Eighteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
48.	Tin:	Seven point five per cent. of London Metal Exchange Tin

		metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced.
49.	Tungsten:	Twenty rupees per unit per cent. of contained WO ₃ per tonne of ore and on pro rata basis.
50.	Uranium:	Two per cent. of annual compensation amount received by M/s. Uranium Corporation of India Ltd., to be apportioned among the States on the basis of data provided by Department of Atomic Energy.
51.	Vanadium:	Twenty per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
52.	Vermiculite:	Five per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
53.	Wollastonite:	Fifteen per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.
54.	Zinc:	(a) Nine point five per cent. of London Metal Exchange Zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in ore produced. (b) Ten per cent. of London Metal Exchange Zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in concentrate produced.
55.	All other minerals not herein before specified (Agate, Corundum, Diaspore, Felsite, Fuschite-Quartzite, Jasper, Kyanite, Perlite, Pyroxenite, Rock Salt, Selenite etc.)	Twelve per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.

Notes :-

1. * Rates of royalty in respect of item No.10 relating to Coal (including Lignite) as revised *vide* notification number G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2012 read with corrigendum G.S.R. 525(E), dated the 14th June, 2012 of the Government of India in the Ministry of Coal shall remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal.
2. ** Rates of royalty in respect of item No.41 relating to Sand for stowing revised *vide* notification number G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997, will remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal."

[F. No. 3/3/2011-M.VI (Part-IV)]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Note: The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier *vide* notification numbers:

1. No. G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975
2. No. G.S.R. 407(E), dated the 14th July, 1975
3. No. G.S.R. 584(E), dated the 13th December, 1975
4. No. G.S.R. 321(E), dated the 12th June, 1978
5. No. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1979
6. No. G.S.R. 67(E), dated the 13th February, 1979
7. No. G.S.R. 63(E), dated the 12th February, 1981
8. No. G.S.R. 449(E), dated the 23rd July, 1981
9. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987
10. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987
11. No. G.S.R. 516(E), dated the 1st August, 1991
12. No. G.S.R. 100(E), dated the 17th February, 1992

3454 GI/14-3

13. No. G.S.R. 748(E), dated the 11th October, 1994
14. No. G.S.R. 27(E), dated the 13th January, 1995
15. No. G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997
16. No. G.S.R. 713(E), dated the 12th September, 2000
17. No. G.S.R. 187(E), dated the 15th March, 2001
18. No. G.S.R. 572(E), dated the 16th August, 2002
19. No. G.S.R. 677(E), dated the 14th October, 2004
20. No. G.S.R. 522(E), dated the 1st August, 2007
21. No. G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009
22. No. G.S.R. 574(E), dated the 13th August, 2009
23. No. G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2012

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितंबर, 2014

सा.का.नि. 631 (अ)- केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात्:-

“तृतीय अनुसूची
(धारा 9क देखिए)
अनिवार्य भाटक की दरें

1. निम्न मूल्य के खनिजों के लिए दिये गये पट्टों को लागू अनिवार्य भाटक दरें निम्नलिखित हैं:

प्रतिवर्ष प्रति हेक्ट. अनिवार्य भाटक की दरें रूपये में		
पट्टे के दूसरे वर्ष से	पट्टे के तीसरे और चौथे वर्ष से	पांचवे वर्ष से आगे
400	1000	2000

2. मध्यम मूल्य के खनिजों के लिए प्रदत्त पट्टे की दशा पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना।
 3. उच्च मूल्य के खनिजों के लिए प्रदत्त पट्टे की दशा में उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का तीन गुना।
 4. बहुमूल्य धातुओं और रलों के लिए प्रदत्त पट्टे की दशा में उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दर का चार गुना।

टिप्पणी:

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-
- (क) “बहुमूल्य धातुओं और रलों” से स्वर्ण, चांदी, हीरा, माणिक, नीलम तथा पन्ना अभिप्रेत है;
- (ख) “उच्च मूल्य के खनिजों” से कम मूल्य के रल (अगेट, जेम गारनेट) कोरंडम, तांबा, सीसा, जस्ता और एस्वेस्टोस (क्रासोटाइल किस्म) अभिप्रेत है;
- (ग) “मध्यम मूल्य खनिजों” से क्रोमाइट, मैग्नीज अंयस्क, केनाइट, सिलिमनाइट, वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, वोलेस्टोनाइट, परलाइट, डायस्पोर, ऐपेटाइट, रॉक फास्फेट, फ्लोराइट (फ्लोस्पार), बेराइट्स और लौह अयस्क अभिप्रेत है;
- (घ) “निम्न मूल्य खनिजों” से बहुमूल्य धातुओं और रलों, उच्च मूल्य के खनिजों और मध्यम मूल्य के खनिजों सेभिन्न अन्य खनिज अभिप्रेत है।

[फा.सं. 3/3/2011-एम. VI(भाग-IV)]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

टिप्पणी:—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची का निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पहले संशोधन किया गया था :

1. सा.का.नि. सं. 458 (अ) तारीख 05 मई, 1987
2. सा.का.नि. सं. 856 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 1987

3. सा.का.नि. सं. 214 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997
4. सा.का.नि. सं. 714 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2000
5. सा.का.नि. सं. 678 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2004
6. सा.का.नि. सं. 575 (अ) तारीख 13 अगस्त, 2009

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2014.

G.S.R.631(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 9A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Third Schedule of the said Act, namely:-

2. In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the "Third Schedule", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THIRD SCHEDULE
(See Section 9A)
Rates of Dead Rent

1. Rates of dead rent applicable to the leases granted for low value minerals are as under:

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM		
From 2 nd Year of Lease	3 rd and 4 th Year of Lease	5 th Year onwards
400	1000	2000

2. Two times the rate specified at paragraph 1 above in case of lease granted for medium value minerals.
3. Three times the rate specified at paragraph 1 above in case of lease granted for high value minerals.
4. Four times the rate specified at paragraph 1 above in case of lease granted for precious metals and stones.

Note:

1. For the purpose of this notification:-

- (a) "precious metals and stones" means gold, silver, diamond, ruby, sapphire and emerald;
- (b) "high value minerals" means semi-precious stones (agate, gem garnet), corundum, copper, lead, zinc, and asbestos (chrysotile variety);
- (c) "medium value minerals" means chromite, manganese ore, kyanite, sillimanite, vermiculite, magnesite, wollastonite, perlite, diaspore, apatite, rock phosphate, fluorite (fluorspar), barytes, and iron ore;
- (d) "low value minerals" means the minerals other than precious metals and stones, high value minerals and medium value minerals."

[F.No.3/3/2011-M.VI (Part-IV)]
R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Note : Third Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier *vide* notification numbers:

1. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987.
2. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987.
3. No. G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997.
4. No. G.S.R. 714(E), dated the 12th September, 2000.
5. No. G.S.R. 678(E), dated the 14th October, 2004.
6. No. G.S.R. 575(E), dated the 13th August, 2009.